



## SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)  
Sugandha Bhavan  
N.H.By-pass  
P.B.No. 2277  
Palarivattom P.O.  
Kochi - 682 025, India

## स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)  
सुगन्ध भवन  
एन.एच.बाईपास  
पी. बी. नं. 2277  
पालारिवट्टम पी.ओ.  
कोच्ची - 682 025, भारत

फाइल संख्या : विपणन -नीलामी/सामान्य /01/2021-23

दिनांक : 28-01-2022

### परिपत्र

19.01.2022 में आयोजित पणधारियों की बैठक के चर्चा के अनुसार इलायची खेती समूह के हित के संरक्षण के लिए ई-नीलामी तंत्र में अंतरिम उपाय करने के लिए निर्णय लिया है। तदनुसार, ई-नीलामी तंत्र में निम्नलिखित बदलाव समाविष्ट किया है:

- क) एक ई-नीलामी के लिए अनुज्ञापित नीलामकर्ता द्वारा इलायची के पूलन के लिए अनुज्ञप्त अधिकतम मात्रा 4 हफ्ते (1 चक्र) की प्रारंभिक अवधि के लिए 65 (पैंसठ) टन तक सीमित है, जो 02.02.2022 से शुरू होती है।
- ख) एक ई-नीलामी के लिए लाइसेन्स प्राप्त ब्यौहारी अनुज्ञापित सौदाकार द्वारा इलायची का पूलन इस अवधि के दौरान अनुसूची नीलाम के लिए अनुज्ञापित नीलामकर्ता द्वारा पूलन किए कुल इलायची के 30 प्रतिशत तक सीमित किया है।

इन बदलावों के साथ जारी करने की इच्छा 4 (चार) हफ्तों की अवधि के बाद मूल्यांकन किया जाएगा और उद्योग की समुन्नति के लिए अगर कोई आशोधन/बदलाव आवश्यक है तो पणधारियों से लिए गए प्रतिनिधियों के पैनल के साथ चर्चा करने के बाद बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ई-नीलामी के आयोजन के लिए अनुप्रयोज्य सभी अन्य निबंधन और शर्तें वही रहेगा। सभी अनुज्ञापित नीलामकर्ताओं को निदेश दिया गया है कि वे 02.02.2022 से प्रभावी ई-नीलामी करने के लिए उपरोक्त शर्तों के सख्ती से अनुपालन करें।

निदेशक (विपणन)